पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1408/अका.का.प/2019 रायपुर, दिनांक 31/10/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार दिनांक 06.11.2019 को अपरान्ह् 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.07.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** **(पृष्ठ क्र 01 से 06 तक)**

   टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.07.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

   टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

बायोटेक्नॉलॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **बायोटेक्नालाजी अध्ययनशाला हेतु क्रय किया गया Equipment Microschope की देयक राशि रु. 5,50,000.00 (पाँच लाख पचास हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।**

   टीप : बायोटेक्नालाजी अध्ययनशाला हेतु Equipment Microschope क्रय किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। अतः राशि रु. 5,50,000.00 (पाँच लाख पचास हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. **जैविकी अध्ययनशाला हेतु UV-Vis Spectro Photometer क्रय किए जाने हेतु राशि रु. 6,05,000.00 (छह लाख पाँच हजार रुपए) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

   टीप : जैविकी अध्ययनशाला हेतु UV-Vis Spectro Photometer सामग्री क्रय किए जाने हेतु राशि रु. 6,05,000.00 (छह लाख पाँच हजार रुपए) प्रस्तावित किया गया है। अतः रुपए 5 लाख से अधिक होने के कारण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **श्री इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला के असाधारण अवकाश स्वीकृति में वृद्धि के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 7)**

   टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.02.2019 में लिए गये निर्णय अनुसार श्री इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 618/स्था./सा.प्रशा./2019 दिनांक 27.02.2019 के द्वारा दिनांक 28.02.2019 से 31.08.2019 तक 6 माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था। पी–एच.डी. से संबंधित कार्य पूर्ण करने में अतिरिक्त समय दिनांक 01.09.2019 से 15.10.2019 तक 45 दिनों का और असाधारण अवकाश में स्वीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

6. **डॉ. आर.पी. दास को प्रोफेसर पद पर दिनांक 09.08.2019 से 08.08.2022 तक धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 8)**

   टीप : डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक F.No. AD/2/NA/2095 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा Pro-Vice Chancellor (कुलाधिसचिव) नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.08.2019 से 08.08.2022 तक 03 वर्ष के लिए धारणाधिकार कार्योत्तर स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

7. **डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश दिनांक 15.01.2020 से 14.07.2020 तक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
(पृष्ठ क्र. 9)

<u>टीप</u> : डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को डेकन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया द्वारा Long Term ICMR-DHR International Fellowships for Young Indian Biomedical Scientist 2019-20 प्रदाय किए जाने के फलस्वरूप, फेलोशिप के लिए छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 15.01.2020 से 14.07.2020 तक 6 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

8. **डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
(पृष्ठ क्र. 10)

<u>टीप</u> : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2019 में लिए गये निर्णय अनुसार डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2301/स्था./सा.प्रशा./2019 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा दिनांक 18.06.2019 से 17.10.2019 तक 4 माह का अर्जित अवकाश स्वास्थगत कारणों से स्वीकृत किया गया था। डॉ. श्रीमती विजया कोचे ने दिनांक 15.10.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.02.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु निवेदन किए हैं।

अतः विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 12 एवं छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानानुसार डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला को दिनांक 01.02.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

9. **एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 11 से 14 तक)**

<u>टीप</u> : छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 336/एफ–2019–53–01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 16/2019 दिनांक 02.08.2019 के द्वारा विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण कर दिनांक 01.07.2019 से प्रभावशील किया गया है।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित पदों पर संविदा पर शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत है :–

क्रमांक	पदनाम	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संविदा मासिक वेतन
1	सहायक प्राध्यापक	12	40840
2	पोस्ट डॉक्टरल फेलो	12	40840
3	रिसर्च असिस्टेंट	8	25780
4	प्रोफेशनल असिस्टेंट	7	20900
5	लैब टेक्नीशियन	6	18420
6	निम्न वर्ग लिपिक	4	14200

अतः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 336/एफ–2019–53–01932/वि/नि/चार वित्त निर्देश 16/2019 दिनांक 02.08.2019 को अंगीकृत करते हुए, विश्वविद्यालय में उपरोक्त पदों पर कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का उपरोक्तानुसार संविदा वेतन दिनांक 01.07.2019 से या पदभार ग्रहण की तिथि से जो भी तिथि बाद में हो से स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>संचालक शारीरिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

10. **सत्र 2019–20 खेलकूद मद में राशि 20.00 लाख हस्तांतरण के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : संचालक, शारीरिक शिक्षा द्वारा खेलकूद की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मद से राशि खेलकूद मद में रु. 20.00 लाख (बीस लाख रूपये) स्थानान्तरित किए जाने का निवेदन किया गया है। विश्वविद्यालय के सामान्य मद के B. Engg. unit 22.Heritage Museum जिसके सत्र 2019–20 हेतु रु. 200.00 लाख का प्रावधान है, जिसके आवश्यक प्रस्ताव अनुसार अन्य व्यय हेतु रु. 26.00 लाख (बुकिंग) प्रस्तावित है। तद्नुसार उक्त मद से रु. 20.00 (बीस लाख रुपए) सामान्य मद से खेलकूद मद में हस्तानान्तरित किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>HRDC से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

11. **HRDC- Guideline 2019 का अनुमोदन करना।** **(पृष्ठ क्र. 15)**

<u>टीप</u> : यू.जी.सी. द्वारा जारी नवीन Guideline, Human Resource Development Centre (HRDC) 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

12. **ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर के प्राचार्य डॉ. हरेकृष्ण के त्याग पत्र के संबंध में सूचना ग्रहण करना।**

<u>टीप</u> : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2015 में लिए गये निर्णय अनुसार डॉ. हरेकृष्ण, प्राचार्य ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3198/अका./2015 दिनांक 01.04.2015 के द्वारा प्राचार्य पद पर नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया था। ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर के संचालक ने अपने पत्र क्रमांक GCE/Resig.letter/2019/928 दिनांक 09.09.2019 के द्वारा महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्त डॉ. हरेकृष्ण का त्याग पत्र संस्था से स्वीकृति पश्चात् त्याग पत्र स्वीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

13. **बीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव, जिला–गरियाबंद के लिये प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को समाजशास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 16 से 17 तक)**

टीप : RDC समाजशास्त्र की बैठक दिनांक 08.07.2019 के निर्णयानुसार शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को समाजशास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। रिवाइज्ड रेगुलेशन नंबर–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>ग्रंथालय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

15. **23 ई–शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ चंदा (Subscription) भेजे जाने हेतु रु. 24,72,453.33 (चौबीस लाख बहत्तर हजार चार सौ तिरपन रुपए मात्र) भुगतान पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय बजट 2019–20 ग्रंथागार : पुस्तक एवं शोध पत्रिका (14:D:1-a) मद राशि रु. 40.00 लाख (चालीस लाख रुपए) प्रस्तावित है। इस राशि से 23 ई–शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा अनुशंसित रु. 24,72,453.33 (चौबीस लाख बहत्तर हजार चार सौ तिरपन रुपए तैंतीस पैसे) तथा 23 शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ चंदा (Subscription) भेजे जाने हेतु भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

16. **पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ प्राप्त दर के अनुमोदन पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय बजट 2019–20 ग्रंथागार : पुस्तक एवं शोध पत्रिका (14:D:1-a) मद राशि रु. 40.00 लाख (चालीस लाख रुपए) प्रस्तावित है। इस राशि से 23 ई–शोध पत्रिकाओं रु. 24,72,453.33 (चौबीस लाख बहत्तर हजार चार सौ तिरपन रुपए तैंतीस पैसे) क्रय उपरांत शेष राशि से Indian Publications के लिए अधिकतम छूट Tripathi Books Distributors, Allahabad से 33% एवं Foreign Publications के लिए अधिकतम छूट Techniz Books International, New Delhi से 38.15% दर से पुस्तकों (Print) के क्रयार्थ माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

17. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था 31.10.2019 के पश्चात् 1 वर्ष बढ़ाये जाने की सूचना ग्रहण करना।**

<u>टीप</u> : वि.वि. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 में विषय क्रमांक 07 में विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था का कार्य एक वर्ष के लिए अनुमोदन किया गया था, चूंकि New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा विश्वविद्यालय परिसर व भवनों में किये जा रहे साफ–सफाई कार्य के संबंध में विश्वविद्यालय के विभागों में से किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं सफाई व्यवस्था अति आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित है अतः वर्तमान परिस्थितियों में संबंधित फर्म का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण वि.वि. द्वारा पूर्व में जारी निविदा के शर्तें/जानकारी के कण्डिका 31 एवं साफ–सफाई कार्य हेतु किये गये अनुबंध के कण्डिका 24 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई कार्य हेतु एक वर्ष के लिये (दिनांक 01. 11.2019 से 31.10.2020 तक) कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए विचारार्थ माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>अधिष्ठाता छात्रा कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

18. **12th SOUFEST 2019 में भोजन व्यवस्था हेतु देयक राशि रु. 22,23,000/– (अक्षरी–बाइस लाख तेईस हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।**

<u>टीप</u> : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.01.2019 में लिए गये निर्णय अनुसार 12th SOUFEST 2019 कार्यक्रम के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के सामान्य बजट मद से Youth Festicval Fund में राशि रुपये 40.00 लाख एवं Student Welfare Fund में प्रावधानित राशि से रुपये 5.00 लाख तथा रु. 5.00 लाख ए.आई.यू. से प्राप्त होने की दशा में शेष राशि अर्थात रु. 15.00 लाख की व्यवस्था Sponsorship से की जावेगी। अतः बजट पुनर्विनियोजन एवं डी. पी.आर. अनुसार प्रस्तावित व्यय राशि रुपये 65.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत बजट से भोजन व्यवस्था का देयक राशि रु. 22,23,000/– (अक्षरी–बाइस लाख तेईस हजार रुपए) भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

19. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 से बढ़ाकर 20,000.00 किये जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : वर्तमान में जिम में रखे Exercise मशीनों और जिम्नेशियम के सुचारू व्यवस्था एवं संचालन के लिए इम्प्रेस्ट की राशि रु. 10,000.00 (दस हजार रुपए) से बढ़ाकर रु. 20,000.00 (बीस हजार रुपए) किये जाने माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

20. **वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।** **(पृ. क्रमांक – 18)**

टीप : उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन को माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

21. **वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।** **(पृ. क्रमांक – 19)**

टीप : उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,रायपुर से विश्वविद्यालय, को प्राप्त वित्तीय वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिकाओं का शीघ्र–अतिशीघ्र पालन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

22. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

31.10.19

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1409/अका.का.प/2019 **रायपुर, दिनांक 31/10/2019**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

31.10.19

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 783 /अका./का.प/2019 रायपुर, दिनांक 30/07/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक गुरुवार, दिनांक 25.07.2019 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य
4. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
5. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य
6. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 20.05.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.05.2019 के विषय क्रमांक 7 में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. ओ.पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को स्वामी विवेकानंद चेयर प्रोफेसर के पद पर दिनांक 26.05.2019 तक सेवा वृद्धि करते हुए सम्पुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 20.05.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

3. **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.06.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

<u>शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

4. सत्र 2018–19 में महाविद्यालयों को प्रदान किये जाने वाली सब्सिडी राशि रु. 5,72,000=00 (पाँच लाख बहत्तर हजार रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **सत्र 2018–19 में महाविद्यालयों को अंतरमहाविद्यालय एवं सेक्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि रु. 5,72,000/– (पाँच लाख बहत्तर हजार रुपए) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

5. क्रीड़ा समिति के नये सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन करना।

निर्णयः संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 04/शा.शि.वि./2019 दिनांक 06.07.2019 के द्वारा प्रस्तावित निम्नांकित दो सदस्यों के नाम क्रीड़ा समिति के सदस्य के रूप में अनुमोदन किया गया एवं अन्य सदस्यों के नामों की सूचना ग्रहण की गई।

S.No.	Category	Status	प्रस्तावित नाम
4	Two Persons of whom atleast one shall be non-teaching appointed by the Executive Council.	Member	1. **Mr. Jitendra Vegad,** Runji Trophy Player, Raipur 2. **Mr. Sudhir Verma,** Coach Netball Guru Hanuman Awadi, Raipur

<u>परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

6. सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड्./पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए. मई–जून परीक्षा 2019 के सुचारू संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों को राशि रु. 9,23,000=00 (रु. नौ लाख तेईस हजार मात्र) अग्रिम राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

7. कचरा (Disposal) के लिए वाहन क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत 3.35 लाख रुपए (रु. तीन लाख पैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 24वॉं दीक्षांत समारोह के लिए किराया भंडार का देयक राशि रु. 5,76,784=00 (पॉंच लाख छिहत्तर हजार सात सौ चौरासी रुपए मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

9. विश्वविद्यालय प्रेस के उन्नयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना। नई प्रिंटिंग मशीनों का क्रय करने की रु. 20.00 लाख (बीस लाख रुपए) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : समिति की अनुशंसानुसार –

(1) सिंगल कलर ऑफसेट मशीन 18x25 आकार की सीधे HMT कंपनी से क्रय की कार्यवाही,

(2) डिजिटल कलर प्रिंटर – Konica Minolta Bizhub C759 मॉडल,

मशीन क्रय करने एवं अनुमानित व्यय राशि रु. 20.00 लाख (रुपए बीस लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

10. विश्वविद्यालय में 6 से 10 अगस्त 2019 को 19वॉं इंस्पायर इंटर्नशीप कैंप के आयोजन हेतु DST ने रूपये 13,00,000/– बजट की स्वीकृति दी है। कार्यक्रम का कुल प्रस्तावित बजट राशि रु. 16,25,000/– (अक्षरी सोलह लाख पच्चीस हजार रुपए) का है, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

11. खिलाड़ियों, मैनेजरों एवं कोचों को पुरस्कार राशि रु. 5,15,000=00 (पाँच लाख पंद्रह हजार रुपए मात्र) प्रदान किये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **सत्र 2018–19 में पूर्वी क्षेत्रीय/अखिल भारतीय अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम, द्वितीय/प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों तथा कोच एवं मैनेजर को पुरस्कार की कुल राशि रु. 5,15,000/– (रु. पांच लाख पंद्रह हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के अर्जित अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला के आवेदन दिनांक 27.05.2019 में अग्रिम उपचार हेतु दिनांक 18.06.2019 से 17.10.2019 तक 04 महिने की अर्जित अवकाश प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

13. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्र. एफ 3–4/2018/38–2 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा समयमान वेतनमान का अनुमोदन प्रदान करने विषयक कार्योत्तर सहमति प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना एवं छ.ग. शासन का वित्त निर्देश 43/2018 वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक 401/एल 2018–71–00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 8.8.2018 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्र. एफ 3–4/2018/38–2 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा समयमान वेतनमान का अनुमोदन प्रदान करने विषयक कार्योत्तर सहमति प्रदान करने की सूचना ग्रहण की गई एवं छ.ग. शासन का वित्त निर्देश 43/2018 वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक 401/एल 2018–71–00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 8.8.2018 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यापक शिक्षक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के निकट, कुकुरबेड़ा, रायपुर को गोद लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. महाविद्यालय के निरीक्षण समिति हेतु नियुक्त सदस्यों के सीटिंग फीस रु. 1000/– से बढ़ाकर रु. 1500/– किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **समस्त महाविद्यालयों के लिए गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों के लिए प्रस्तावित सीटिंग फीस रु. 1000/– से बढ़ाकर रु. 1500/– (रु. पंद्रह सौ मात्र) किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

16. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा–राजिम, जिला–रायपुर के प्राचार्य पद पर द्वितीय कार्यकाल वृद्धि के संबंध में।

निर्णय : **सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा–राजिम, जिला–रायपुर के प्राचार्य पद के लिए डॉ. शोभा गावरी के द्वितीय कार्यकाल वृद्धि का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषय सूची

1. सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

2. शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों की रख–रखाव वर्ष 2019–20 के लिए राशि रूपए–21,31,329.00 (इक्कीस लाख इकतीस हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उद्यानों के रख–रखाव हेतु सहायक संचालक, उद्यान प्रमुख उद्यान रायपुर उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 21,31,329.00 (रु. इक्कीस लाख इकतीस हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) व्यय का अनुमोदन किया गया।

4. अध्यापक शिक्षा संस्थान के सेमीनार हॉल के लिए ए.सी. एवं चेयर क्रय किये जाने हेतु राशि रूपये–6,25,000.00 (छः लाख पच्चीस हजार) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अध्यापक शिक्षा संस्थान के सेमीनार हॉल के लिए 08 नग ए.सी. एवं 150 नग चेयर क्रय हेतु अनुमानित व्यय राशि रूपये–6,25,000.00 (रु. छः लाख पच्चीस हजार) वित्तीय वर्ष 2019–20 में आबंटित स्व–वित्तीय मद C-VII/5 office Automation मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई।

5. कम्प्यूटर अध्ययन शाला Wi-Fi इन्फ्रास्ट्रक्चर भुगतान राशि रूपये–12,71,215/– (रूपए बारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह) की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : M/s Benzfab Technologies Pvt. Ltd. Bhabaneswar, Odisha को विश्वविद्यालय के कार्यादेश क्र. 19/CS/RSU-CAN दिनांक 04.01.2016 के अनुक्रम में कम्प्यूटर अध्ययनशाला Wi-Fi इन्फ्रास्ट्रक्चर के विरूद्ध प्रस्तुत देयक –

क्रमांक	बीजक क्रमांक एवं दिनांक	विवरण	कुल राशि
1	284/15–16,दि. 24.02.2016	सामग्री	9,94,654.00
2	320/16–17,दि. 31.01.2017	सामग्री	72,965.00
3	317/16–17,दि. 31.01.2017	Installation	2,03,596.00
कुल राशि (बारह लाख ईकहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह)			**12,71,215.00**

कुल राशि रुपए–12,71,215/– (रुपए बारह लाख इकहत्तर हजार दो सौ पन्द्रह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन। (प्रसूति अवकाश के संबंध में)

निर्णय : छ.ग. राजपत्र आसाधारण अधिकार से प्रकाशित गुरूवार, दिनांक 20.09.2018 छत्तीसगढ़ विविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संशोधन – प्रसूति अवकाश का अनुमोदन किया गया एवं विश्वविद्यालय विनियम 122 के कंडिका 8 के उप कंडिका (ड) के पश्चात् कंडिका (ढ) निर्मित कर 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति जो भी पहले हो के लिये प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) जोड़े जाने की अनुमति दी गई।

7. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई. खान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूविज्ञान अध्ययन शाला के अवकाश समर्पण के नगदीकरण की राशि रूपए–18,46,896/– (अठारह लाख छियालीस हजार आठ सौ छियान्बे) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : **स्वीकृति प्रदान की गई।**

8. वर्ष 2017 में नियुक्त निम्नलिखित शिक्षकों की स्थायीकरण के संबंध में विचार करना।

क्र.	नाम	पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. कमलेश श्रीवास	एसोसिएट प्रोफेसर	10.03.2017	10.03.2019
2	श्री इन्द्रपाल करभाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	27.02.2017	27.02.2019
3	डॉ. गिरजा शंकर गौतम	असिस्टेंट प्रोफेसर	24.05.2017	24.05.2019
4	डॉ. श्रीमती वीनु जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर	24.05.2017	24.05.2019
5	डॉ. शिवेन्द्र सिंह देवहरे	असिस्टेंट प्रोफेसर	01.06.2017	01.06.2019
6	डॉ. मनोज कुमार पटेल	असिस्टेंट प्रोफेसर	05.06.2017	05.06.2019

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

9. रसायन अध्ययनशाला के लिए उपकरण (CHNSO Analyzer) क्रय हेतु राशि रूपए–25,97,120/–(पच्चीस लाख संतानबे हजार एक सौ बीस) केंद्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया। रसायन अध्ययनशाला के लिए CHNSO Analyzer क्रय करने हेतु केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार M/s Thermo Fischer India Ltd का भाव–पत्र रुपए 25,97,120/–(रु. पच्चीस लाख संतानबे हजार एक सौ बीस मात्र) का अनुमोदन किया गया।**

10. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.06.2015 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर–3, तहसील व जिला रायपुर द्वारा भूमि चिन्हांकित की गई है। यह विश्वविद्यालय के बाऊड्रीवाल के अंदर आ गई थी। विश्वविद्यालय परिसर से लगी हुई जमीन डूमरतालाब स्थित खसरा नंबर–496/1,रकबा–0.295 हेक्टेयर एवं 496/2, रकबा–0.729 हेक्टेयर कुल–1.024 हेक्टेयर जमीन ओम प्रकाश अग्रवाल वल्द आर. आर. अग्रवाल को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वापस किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

11. वार्षिक परीक्षा 2019 (मार्च–अप्रैल 2019) का कुल देयक 26,93,246/–(रुपए छब्बीस लाख तिरानबे हजार दो सौ छियालीस मात्र) प्रश्न–पत्रों के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

12. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.07.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

13. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को 2nd International Conference on "Fostering Interdisciplinary Research in Health Sciences 2019" दिनांक 14–15 सितंबर 2019 को मलेशिया में आयोजित है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने संबंधी जानकारी कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत। (इस हेतु वि.वि. को किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं होगा)

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

14. श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, घड़ी चौक रायपुर के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : **पूरे प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाए।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 20.02.2019, 27.06.2019 एवं 22.07.2019 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गए तथा पदोन्नति हेतु अनुशंसा निम्नानुसार मान्य किया गया –

S-E. Committee Meeting Date	Subject	Post	Name	With Effect From
20-02-2019	Hindi	Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Madhulata Bara	23-11-2016
27-06-2019	Library	Assistant Librarian Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Purnima Kumari	21-11-2017
22-07-2019	Pharmacy	Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Deependra Singh	22-12-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. (Smt.) Manju Singh	22-12-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Amber Vyas	22-12-2017
		Assistant Professor Stage 2 to 3 (CAS)	Dr. Vishal Jain	24-12-2017

02. अधिवक्ता पैनल के नाम पर विचार करना।

निर्णय :अधिवक्ता पैनल के नाम निर्देशन हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 784/अका./का.प/2019 रायपुर, दिनांक : 30/07/2019

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

(10) (7)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु

विषय : श्री इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला के असाधारण अवकाश स्वीकृति में वृद्धि के संबंध में।

श्री इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किए है कि राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, पुणे में पी–एच.डी. से संबंधित कार्य पूर्ण करने में अतिरिक्त समय लगने का उल्लेख कर दिनांक 01.09.2019 से 15.10.2019 तक 45 दिनों का और असाधारण अवकाश में स्वीकृत किए जाने हेतु निवेदन किए है।

छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 31 की कंडिका (1) (क) (ख) में असाधारण अवकाश की स्वीकृति के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:–

(1) नियम 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय सेवक को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है:–

- (क) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य न हो, अथवा
- (ख) जब कोई अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकार्य हो, किन्तु शासकीय सेवक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु लिखित आवेदन दे।

कार्यपरिषद के बैठक दिनांक 23.02.2019 में लिए गये निर्णय अनुसार श्री इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 618/स्था./सा.प्रशा./2019 दिनांक 27.02.2019 के द्वारा दिनांक 28.02.2019 से 31.08.2019 तक 6 माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था।

अतः छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के उपरोक्त प्रावधानानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 618/स्था./सा.प्रशा./2019 दिनांक 27.02.2019 के अनुक्रम में श्री इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययनशाला को दिनांक 01.09.2019 से 15.10.2019 तक 45 दिनों का असाधारण अवकाश स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

F:/Sahu /Letter 2019/337

(11) (8)

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

विषय : डॉ. आर.पी. दास को प्रोफेसर पद पर धारणाधिकार स्वीकृति संबंध में।

डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक F.No. AD/2/NA/2095 दिनांक 09.08.2019 के द्वारा Pro-Vice Chancellor (कुलाधिसचिव) नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.08.2019 से 08.08.2022 तक 03 वर्ष के लिए धारणाधिकार की मांग की गई है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2307/स्था./सा.प्रशा./2019 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में Pro-Vice Chancellor (कुलाधिसचिव) के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 08.08.2019 अपराह्न से कार्यमुक्त किया गया है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31, भाग–2 की कंडिका 11 का उद्धारण निम्नानुसार है:–

"On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively. If appointed substantively to another post. acquires a lien on the second post and cases to hold any lien on the first one"

अतः डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में Pro-Vice Chancellor (कुलाधिसचिव) के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2307/स्था./सा.प्रशा./2019 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा दी गयी स्वीकृति का अनुमोदन एवं दिनांक 09.08.2019 से 08.08.2022 तक प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के पद पर धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

F:/Sahu /Letter 2019/333

(12) (9)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

विषयः– डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को डेकन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा "Long Term ICMR-DHR International Fellowships for Young Indian Biomedical Scientist 2019-20" प्रदाय किए जाने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार डॉ. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर को अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन महंगाई भत्ते के अलावा अन्य प्रकार की भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व (प्रपत्र–5) अनुबंध निष्पादित कराया जाना होगा।

अतः डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उपरोक्त उल्लेखित फेलोशिप के लिए छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 15.01.2020 से 14.07.2020 तक 6 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Section Officer (Adm.)
Pt. R. S. S. University
Raipur

F/Sahu/Letter 2019/355

13

(10)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

विषयः— डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति के संबंध में।

डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने दिनांक 15.10.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.02.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु निवेदन किए हैं।

विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 12 के प्रावधानानुसार कोई भी स्थायी कर्मचारी 03 माह पूर्व सूचना या 03 माह का वेतन जमा कर सेवानिवृत्ति ले सकता है।

छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42 की कंडिका 1 (क) के अनुसार— कोई भी सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी को उस तारीख से जिसको कि वह सेवानिवृत्त होना चाहता है, कम से कम तीन मास पूर्व प्ररूप 28 में सूचना देकर अथवा तीन मास की कालावधि के या उतनी कालावधि के जितनी से कि उसके द्वारा वास्तविक रूप से दी गई सूचना तीन मास से कम पड़ती हो, वेतन तथा भत्तों का उसके द्वारा भुगतान किए जाने पर, किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकेगा।

डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर की इस विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति 05.03.1990 है। तद्नुसार इनकी विश्वविद्यालय सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिकत हो चुकी है।

डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर के आवेदन दिनांक 15.10.2019 से 03 माह की अवधि दिनांक 14.01.2020 को पूर्ण हो रही है।

अतः विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 12 एवं छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानानुसार डॉ. श्रीमती विजया कोचे, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला को दिनांक 01.02.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Section Officer (Adm.)
Pt. R. S. S. University
Raipur

(11)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 336/एफ–2019–53–01932 /वि/नि/चार वित्त निर्देश 16/2019 दिनांक 02.08.2019 के द्वारा विभिन्न पदों पर एकमुक्त संविदा वेतन का निर्धारण कर दिनांक 01.07.2019 से प्रभावशील किया गया है।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित पदों पर संविदा पर शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैः–

क्रमांक	पदनाम	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संविदा मासिक वेतन
1	सहायक प्राध्यापक	12	40840
2	पोस्ट डॉक्टरल फेलो	12	40840
3	रिसर्च असिस्टेंट	8	25780
4	प्रोफेशनल असिस्टेंट	7	20900
5	लैब टेक्नीशियन	6	18420
6	निम्न वर्ग लिपिक	4	14200

अतः छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक 336/एफ–2019–53–01932 /वि/नि/चार वित्त निर्देश 16/2019 दिनांक 02.08.2019 को अंगीकृत करते हुए,विश्वविद्यालय में उपरोक्त पदों पर कार्यरत संविदा शिक्षक/कर्मचारियों का उपरोक्तानुसार संविदा वेतन दिनांक **01.07.2019** से या पदभार ग्रहण की तिथि से जो भी तिथि बाद में हो से स्वीकृति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

Section Officer (Adm.)
Pt. R. S. S. University
Raipur

F:/Sahu /Letter 2019/358

(12)

वित्त निर्देश 16/2019

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 336/एफ–2019–53–01932/वि/नि/चार, दिनांक 2 अगस्त, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण

संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 297/एल 2015–71–00388/वित्त/नियम/चार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9–1/2012/1–3, दिनांक 31.12.2012
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 328/एल 2015–71–00338/वि/नि/चार, दिनांक 24 जुलाई, 2017

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जुलाई, 2017 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए एकजाई संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 12 (2)(क) में प्रदत्त शक्तियों के तहत् एकमुश्त संविदा वेतन की दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न वेतन लेवल के पदों के लिए निम्नानुसार संविदा वेतन निर्धारित किया जाता हैः–

क.	संविदा नियुक्ति के पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में लेवल	मासिक संविदा वेतन
1.	1	11360
2.	2	11720
3.	3	13110
4.	4	14200
5.	5	16310
6.	6	18420

7.	7	20900
8.	8	25780
9.	9	27740
10.	10	31450
11.	11	35750
12.	12	40840
13.	13	49000
14.	14	58170
15.	15	86270
16.	16	94430

2/ कॉलम 3 में उल्लेखित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे।

3/ ये दरें उन संवर्गो के लिए लागू नही होंगी जिनके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, वे दरें यथावत् रहेंगी।

4/ ये दरें दिनांक **1 जुलाई, 2019** से प्रभावशील होंगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0के0 चक्रवर्ती) 02/08/2019
संयुक्त सचिव

14

पृ.क्र. 337 / एफ 2019–53–01932 / वि / नि / चार दिनांक 2 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

2/8/19

(पूजा शुक्ला मिश्रा)
अवर सचिव

विषय :-
Subject: Approval of HRDC guideline 2019

The new Human Resource Development Centre (HRDC) Guideline 2019 (Copy enclosed) has been released by the UGC, New Delhi on September 2019. The earlier guideline in operation was effective since 2015. The new guideline has to be adopted by the University for its effective academic, administrative and financial implications. Some of the key features which have been included in the current guideline are:

1. Duration of the Courses: The Orientation Program has been reduced to 3 weeks (18 working days). The Refresher Course has been reduced to 2 weeks (12 working days). The Short Term Course will be of one week duration (6 working days). This has been notified by UGC as a Public Notice.
2. Number of Participants: The number of participants in a course has been fixed in a range of 20-40. This has also been notified by UGC as a Public Notice.
3. The faculty of HRDC to be at par with University faculty and re-designated as Assistant, Associate and Professor.
4. The appointment of Director/ Selection Committee
5. Hospitality rate for participants, DA rates and Conveyance rates etc
6. Autonomy in functioning of HRDC etc
7. Following UGC norms and signing of MOU for a period of three years.

These guidelines are to be adopted by the University for effective and smooth functioning of HRDC.

Submitted for your kind approval to be placed before the Executive Council

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 10390 /अका./2013

रायपुर, दिनांक : 4 /05/2013

।। अधिसूचना ।। 16

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2013 के कार्यवृत्त (विषय क्रमांक 14 में Revised Regulation No. 107, [Recognition of the Research Centers]) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2013 के विषय सूची क्रमांक 4 में अनुमोदन हुआ है, जो निम्नांकित है –

Revised Regulation No. 107
(E.C. Under 23-04-2013)
[Recognition of the Research Centers]

The regulation is meant for the recognition of the research centre. The Institution/College who desires to have a research centre should essentially fulfill the following criteria:

1. The Principal of the affiliated College or the Head of the institution have to apply in the prescribed format to the University for the Recognition of a research centre in the concerned subject.
2. The application for the recognition of a research center can be made round the year with an affiliation fee prescribed by the University from time to time. The annual fee for the research centre will be levied as specified by the University.
3. Only Colleges qualifying the following criteria can apply for recognition of a research centre in a subject:
   a. The College is accredited by the National Assessment and Accredited Council (NAAC). The existing Colleges with research Centers should get NAAC accreditation in order to continue the research centre in the subjects.
   b. The College is running the Post Graduate course in the subject since last 5 years and has acquired permanent affiliation from the University.
   c. The faculty strength in the subject in which recognition is sought is not less than five with at least one Professor and a minimum of two faculty possessing Ph. D. degree in the concerned subject.
   d. The College has a well equipped library and adequate number of books in the subject for research and with subscription of five Indian and at least two International Journals (with ISSN number) in the concerned subject since last three years.
   e. In case of research centre in the science subject, an adequate space in the form of laboratory is mandatory. The Laboratory should be well equipped with all basic research instruments in working order. Besides, it should also have specific research equipments.
   f. A minimum of three computer sets with internet facility in the department is essential for the research students.
   g. The Principal/ Institutional Head of the recognized research centre will maintain a proper record of the attendance of all the research scholars registered at the centre and would authenticate and forward the same regularly with six monthly progress report to the University.
4. Nationally recognized Institutions will not be required to apply separately for recognition for a research centre. They need to have a formal approval from the Research Degree Committee of the concerned subject of the University by making a formal request.

D:/shi C8/tukaramC8/484

......2

5. A Committee of the following will inspect the College/Institution on receipt of the application for recognition of a research centre. The expenditure on inspection will be borne by the applicant institution:
   (a) Dean (from the relevant Faculty)
   (b) Chairman, Board of Studies of the Concerned Subject
   (c) a subject Expert not less than University Professor/ College Professor in the rank, nominated by the Vice-Chancellor
6. The three member Committee would inspect the applicant institution/College for the facilities/eligibility with number of seats and submit its report with the recommendation within a fortnight from the date of inspection to the Registrar of the University based on the criterion as laid down earlier at para 3.
7. The report of the Committee will be presented at the RDC of the concerned subject for approval.
8. After the approval from RDC, the matter would be placed in Executive Council for recognition of the Research Centre, and if approved by the EC, the research Centre recognition would be granted to the College/Institution.
9. The recognized Research Centre shall be entitled to collect the prescribed fees from the research Scholars enrolled at its centre as laid down in the Ph. D. Ordinance of the University.
10. Recognized research centers will ensure all the basic facilities to the research Scholars registered at their Centers.
11. In case of any complaint against the research centre, the University will review the recognition status of the research centre and if found true the recognition will be withdrawn with immediate effect.
12. Every research centre will provide the details of the enrolled students annually to the University at the end of academic year or whenever asked.
13. In case no student is registered at a recognized research Centre in last five years, the recognition will be withdrawn and such centers have to apply afresh for recognition.
14. The university will review every five year the facilities at each recognized research center and if not found up to the mark, the recognition will be withdrawn from such centers.
15. Those institution that were denied recognition earlier has to apply afresh as per the revised regulation for recognition of the research center.
16. In case the guide(s) at a recognized research Centre superannuate(s) or is/ are transferred from the research Centre, it shall be the duty of the Principal/ Head of the Institution to maintain the record of the attendance of the research scholar working at the research Centre and provide it to the University whenever needed.

Prescribed Format for the Recognition of a Research Centre

1. Name of the College/Institution:
2. Website of the College:
3. Date of Establishment:
4. Date of NAAC accreditation and Grade:
5. Status of the College: Government/ Autonomous/ Private
6. Whether the College is receiving Grant from UGC/ State Government or not?
7. Details of PG Courses in the College and year of start:
8. Total number of students in PG Classes/ Teachers Subject-wise:
9. Subject, for which recognition is sought and year of start of PG Classes:
10. Number of students enrolled in the PG Class in the subject in last three years (year-wise):

......3

11. Total Faculty members/ Officers in the College:
12. Number of Recognized Guide in the College subject-wise:
    (Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor)
13. Name of Recognized Guide in the subject where recognition is requested:
    (Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor)
14. Library facility (Append list of Books/ Journals):
15. Number of Books/ Journals in the concerned Subject (Append list):
16. Laboratory facility (Number/ Area):
17. List of Equipment in the Laboratory:
18. Computer/Internet facility:
19. Details of Recognition Fees Paid:
20. Any other Relevant Information:

Based on the above information, we apply for recognition of research Centre in .... and assures the University that in case the recognition is granted to the College, we will abide by the rules and regulations as laid by the University.

Signature of the Principal/ Head/ Director

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 10391 /अका./2013 रायपुर, दिनांक : 4 /05/2013

प्रतिलिपि :

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वि.क.अ. विकास/प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/5/13

प्रभारी अधिकारी (अका.)

18

" टीप "

वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यपरिषद में अनुमोदन हेतु।

उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विश्वविद्यालय, को वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

पूर्व वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त कंडिकाओं का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है चूँकि कंडिकाएँ विगत पुराने वर्षो के है जिससे नस्तियों एवं देयकों को उपलब्ध कराने में विलंब हो रहा है। पूर्व वर्षो की समस्त आपत्तियाँ वर्तमान में कार्य कर रहें ज्येष्ठ संपरीक्षक के टीप उपरांत कार्यालय, उपसंचालक को प्रेषित किया जाना है।

अवगत हो कि पूर्व में वि.वि. 100 आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर को वर्तमान में कार्यरत अंकेक्षण दल को प्रभारी ज्येष्ठ संपरीक्षक के टीपांकन पश्चात प्रेषित किया गया है जिसके संबंध में अद्यतन उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर द्वारा आपत्ति निराकरण की कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिकाओं का शीघ्र–अतिशीघ्र पालन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन को माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

(signature)

वित्त नियंत्रक

(19)

" टीप "

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यपरिषद में अनुमोदन हेतु।

उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विश्वविद्यालय, को वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन वि.वि. को प्राप्त हो गया है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कंडिकाओं का शीघ्र–अतिशीघ्र पालन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन को माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

वित्त नियंत्रक